न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बिलाड़ा, जिला जोधपुर

पीठासीन अधिकारी :- **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :- 28/2011

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1. कमला पत्नि कानाराम उर्फ मदनराम जाति जाट निवासी खसरा सं. 109 इन्द्रप्रस्थ नगर, प्लाट सं. 64 नान्दडी रोड जोधपुर		1. कानाराम उर्फ मदनराम पुत्र स्व. मंगलाराम जाति जाट निवासी ग्राम हरियाडा वाया भावी तहसील बिलाडा जिला जोधपुर हाल निवास-चाय व किराणा की केबिन, किसान गैस गोदाम के आगे न्यू बिजली घर व पुलिस चौकी के सामने कुडी भगतासनी हाउसिंग बोर्ड, जोधपुर
2. सुनिल पुत्र कानाराम उर्फ मदनराम जाति जाट निवासी खसरा सं. 109 इन्द्रप्रस्थ नगर प्लाट सं. 64 नान्दडी रोड जोधपुर नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता श्रीमति कमला पत्नी कानाराम उर्फ मदनराम		2. गोकलराम पुत्र स्व. मंगलाराम जाति जाट निवासी ग्राम हरियाडा वाया भावी तहसील बिलाडा जिला जोधपुर हाल निवासी चाय व किराणा की केबिन सेन्ट्रल स्कूल के सामने एयरफोर्स जोधपुर
3. सुरेश पुत्र कानाराम उर्फ मदनराम जाति जाट निवासी खसरा सं. 109 इन्द्रप्रस्थ नगर प्लाट सं. 64 नान्दडी रोड जोधपुर नाबालिग जरिये कुदरती वलिया माता श्रीमति कमला पत्नी कानाराम उर्फ मदनराम		3. ढगलाराम पुत्र स्व. मंगलाराम जाति जाट निवासी ग्राम हरियाडा वाया भावी तहसील बिलाडा जिला जोधपुर हाल निवास महादेव नगर, नाले वाली रोड पर किराणा व सब्जी की दुकान मार्फत रामलाल चाण्डी महामंदिर के बाहर जोधपुर
4. मंजूदेवी पुत्री कानाराम उर्फ मदनराम पत्नी पुनाराम डांगी जाति जाट निवासी मुकाम पोस्ट डांगियावास तहसील व जिला जोधपुर		4. मदनलाल पुत्र स्व. मंगलाराम जाति जाट निवासी ग्राम हरियाडा वाया भावी तहसील बिलाडा जिला जोधपुर
		5. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार , तहसील बिलाडा जिला जोधपुर

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 राजस्थान टीनेंसी एक्ट 1955

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाड़ा

उपस्थिति :-

वादीगण - श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता।

प्रतिवादी सं. 1 से 4 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही।

प्रतिवादी सं. 5- सरकारी पैराकार।

निर्णय

दिनांक :- 21/05/25

संक्षेप में मामले के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम हरियाडा पटवार हल्का हरियाडा भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र भावी, तहसील बिलाडा जिला जोधपुर में कृषि भूमि खसरा नंबर 196 रकबा 11 बीघा 19 बिस्वा, खसरा सं. 358 रकबा 3 बीघा 15 बिस्वा, खसरा नंबर 468 रकबा 14 बीघा 9 बिस्वा, खसरा सं. 660 रकबा 20 बीघा, खसरा सं. 760 रकबा 6 बीघा 12 बिस्वा, खसरा सं. 761 रकबा 3 बीघा 10 बिस्वा कुल खसरा 6 कुल रकबा 60 बीघा 4 बिस्वा आई हुई है। जो कि वादी सं. 1 के ससुर व वादीगण सं. 2 से 4 के दादा तथा प्रतिवादी सं. 1 से 4 के पिता मंगलाराम पुत्र तिलाराम के नाम से खातेदारी थी। उक्त खसरान की कृषि भूमि को वाद पत्र के आगे के पदों में वादग्रस्त कृषि भूमि के नाम से सम्बोधित किया जायेगा। वादी सं. 1 के ससुर व वादीगण सं. 2 से 4 के दादा तथा प्रतिवादी सं. 1 से 4 के पिता मंगलाराम पुत्र श्री तिलाराम का स्वर्गवास होने के पश्चात वादग्रस्त कृषि भूमि जरिये फौतेदगी म्यूटेशन के तहत प्रतिवादी सं. 1 से 4 के नाम राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में खातेदारी दर्ज हुई तथा आज की तारीख में वादग्रस्त कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 1 से 4 के नाम से राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में संयुक्त खातेदारी के रूप में दर्ज है और राजस्व रेकर्ड जमाबंदी के अनुसार वादग्रस्त कृषि भूमि में प्रत्येक प्रतिवादी का 1/4 हिस्सा है। वादग्रस्त कृषि भूमि वादीगण व प्रतिवादी सं. 1 से 4 पुश्तैनी कृषि भूमि है। तथा वादी सं. 1 प्रतिवादी सं. 1 की पत्नी है व वादी सं. 2 से 3 प्रतिवादी सं. 1 के पुत्र व मंगलाराम के पौत्र है तथा वादी सं. 4 प्रतिवादी सं. 1 की पुत्री व मंगलाराम की पौत्री है, इसलिए हिन्दु उतराधिकार अधिनियम व हिन्दू लॉ के अनुसार वादीगण का भी प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से वाली कृषि भूमि में बराबर हक व हिस्सा बनता है। यानि की प्रतिवादी सं. 1 के हिस्से वाली 1/4 हिस्से की भूमि में प्रतिवादी सं. 1 व प्रत्येक वादीगण का 1/5 हिस्सा बनता है तथा प्रतिवादी सं. 1 व प्रत्येक वादीगण का 1/5 हिस्सा बनता है तथा प्रतिवादी सं. 1 व वादीगण मौके पर हक व हिस्से में आई हुई वादग्रस्त कृषि भूमि पर काबिज व कब्जा काश्त है। वादीगण द्वारा अपने हक व हिस्से में आई हुई वादग्रस्त कृषि भूमि के संबंध में प्रतिवादी सं. 1 से 4 को वादीगण के नाम से राजस्व रेकर्ड में अलग से खातेदारी दर्ज करवाने का कई बार निवेदन किया परन्तु प्रतिवादी सं. 1 से 4 टालम-मटोली करते रहे तथा आज दिन तक वादीगण की हक व हिस्से वाली वादग्रस्त कृषि भूमि की खातेदारी वादीगण के नाम से दर्ज नहीं करवाई, इसलिए वादीगण को मजबूरन हिन्दू उतराधिकार अधिनियम व हिन्दू लॉ के मुताबिक पुश्तैनी वादग्रस्त कृषि में उपरोक्त खातेदारी हक व अधिकारों की घोषणा व दर्ज करवाने हेतु यह दावा बाबत खातेदारी की घोषणा का प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया। इसलिए यह दावा बाबत खातेदारी की घोषणा व खातेदारी दर्ज करने का माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत है। प्रतिवादी सं. 1 से 4 राजस्व रेकर्ड में अमल दरामदगी के आधार पर दिनांक 29.04.2011 को इस आशय की धमकी दी कि सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि राजस्व रेकर्ड में हम प्रतिवादी सं. 1 से 4 राजस्व रेकर्ड में दर्ज खातेदारी के अनुसार सम्पूर्ण वादग्रस्त कृषि भूमि का बेचान हस्तान्तरण कर देंगे। जबकि वादग्रस्त कृषि भूमि में वादीगण का भी हिन्दु उतराधिकार अधिनियम व हिन्दू लॉ के अनुसार प्रतिवादी सं. 1 के बराबर हक व हिस्सा है, यानि की 1/4 हिस्से वाली भूमि में प्रतिवादी सं. 1 व प्रत्येक वादीगण का 1/5

सहायक कलक्टर एवं उप खण्ड अधिकारी बिलाडा

हिस्सा है, इसलिए वादीगण के हक व हिस्से वाली भूमि का बैचान हस्तान्तरण करने का कानूनन प्रतिवादी सं. 1 से 4 को किसी भी प्रकार का हक व अधिकार नहीं है। फिर भी प्रतिवादी सं. 1 से 4 गैर कानूनी तरीके से वादीगण के हक व हिस्से वाली भूमि का हस्तान्तरण करने पर आमादा है तथा वादीगण के हक व हिस्से वाली भूमि में दखल अंदाजी कर रहे है, इसलिए प्रतिवादी सं. 1 से 4 की गैर कानूनी की जाने वाली हरकतों को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद नहीं किया गया, तो वादीगण को अपूर्णीय हानी होगी, जिसकी पूर्ती किया जाना संभव नहीं है। इसलिए यह वाद बाबत स्थायी निषेधाज्ञा का प्रस्तुत है।

अन्त में वाद पेश कर निवेदन है कि दावे के पद सं. 1 में वर्णित वादग्रस्त कृषि भूमि में से प्रतिवादी सं. 1 के नाम दर्ज 1/4 हिस्से वाली वादग्रस्त कृषि भूमि में हिन्दु उतराधिकार अधिनियम व हिन्दू लॉ के अनुसार प्राप्त हक व हिस्सा यानि की प्रत्येक वादीगण का 1/5 हिस्से का खातेदार घोषित किया जावे व राजस्व रेकर्ड में खातेदारी दर्ज की जावें। वादीगण के हक व हिस्से वाली भूमि का जरिये मिटस एण्ड बाउडस बंटवाडा किया जाकर प्रतिवादी सं0 1, 1/4 हिस्से वाली भूमि के संबंध में कानूनन प्राप्त प्रत्येक वादीगण 1/5 हिस्से की भूमि को अलग की जाकर राजस्व रेकर्ड में वादीगण के नाम दर्ज की जावें। प्रतिवादी सं. 1 से 4 को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा पाबंद किया जावे कि वह वादीगण के हक व हिस्से अनुसार बंट में हुई खातेदारी भूमि में न तो स्वयं और न ही अन्य किसी सख्स, एजेन्ट के माध्यम से दखल करावें।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी का दावा दिनांक 19.03.2012 को प्राथमिक डिक्री किया गया और ग्राम हरियाडा तहसील बिलाड़ा की सरहद में स्थित भूमि खसरा नम्बर 196, 358, 468, 660, 760, 761 रकबा क्रमश 11-18 बीघा, 3-15 बीघा, 14-09 बीघा, 20 बीघा, 6-12 बीघा, 3-10 बीघा कुल खसरा 6 रकबा 60-04 बीघा भूमि में कानाराम के 1/4 हिस्से में वादी सं. 1, 2, 3 को 1/4, 1/4, 1/4 हिस्से का खातेदार घोषित किया जाता है। 1/4 हिस्सा प्रतिवादी सं. 1 कानाराम का रहेगा। उक्तानुसार राजस्व रेकर्ड में तहसीलदार बिलाडा अमल दरामद की कार्यवाही करेंगे। वादीगण 1, 2, 3 के हक हिस्से की भूमि का बाई मीट्स एण्ड बाउन्ड्स बंटवाड़ा किया जाकर राजस्व रेकर्ड में दर्ज हिस्से अनुसार बाई मिटस एण्ड बाउण्डस बंटवाडा किया जाकर भूमि का बंटवाडा प्रस्तावित करने हेतु तहसीलदार बिलाडा को आदेश प्रदान किया गया। जिसकी पालना करते हुए तहसीलदार बिलाडा ने बंटवाडा प्रस्ताव प्रस्तुत किया जो निम्नानुसार है

क्र. सं.	नाम काश्तकार	खसरा नम्बर	रकबा
1	कमला पत्नी कानाराम 1/3, सुनिल पुत्र कानाराम हि. 1/3, सुरेश पुत्र कानाराम हि. 1/3 जाति जाट सा.देह खातेदार	196 358 468 660 760 761	0.3610 0.1137 0.4383 0.6068 0.2002 0.1062

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा

	कुल खसरा	6	1.8262
2	कानाराम पुत्र मंगलाराम हि. 10216/132781 जाति जाट सा.देह खातेदार गोकुलराम पुत्र मंगलाराम हि. 40855/132781 जाति जाट सा.देह खातेदार ढगलाराम पुत्र मंगलाराम हि. 40855/132781 जाति जाट सा.देह खातेदार मदनलाल पुत्र मंगलाराम हि. 40855/132781 जाति जाट सा. देह खातेदार	760 761	0.8677 0.4601
	कुल खसरा	2	1.3278
3	कानाराम पुत्र मंगलाराम हि. 50663/658628 जाति जाट सा. खातेदार गोकुलराम पुत्र मंगलाराम हि. 202655/658628 जाति जाट सा.देह खातेदार ढगलाराम पुत्र मंगलाराम हि. 202655/658628 जाति जाट सा. देह खातेदार मदनलाल पुत्र मंगलाराम हि. 202655/658628 जाति जाट सा.देह खातेदार	196 358 468 660	1.5644 0.4931 1.8997 2.6292
	कुल खसरा	4	6.5864

उक्त सारणी के अनुसार वादी व प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त की भूमि मौका स्थिति अनुसार नजरी नक्शा के अनुसार बंट में रखी गयी। बंटवाडा प्रस्ताव को लेकर किसी भी पक्षकार ने कोई आपति पेश नही की इसलिए बंटवाडा प्रस्ताव मय नजरी नक्शा दिनांक 05.05.2025 के अनुसार वादीगण के वाद को स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव व बंटवाडा प्रस्ताव के साथ संलग्न नजरी नक्शा दिनांक 05.05.2025 को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढ़ा जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
बिलाड़ा

निर्णय आज दिनांक 21/7/25 को मेरे हस्ताक्षर द्वारा न्यायालय की मुद्रा से जारी कर सरे इजलास सुनाया गया।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
बिलाड़ा

अन्तिम डिक्री व मुकदमे इब्तदाई
(आर्डर 21 रूल 6-7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी बिलाड़ा,
व इजलास **मृदुला शेखावत**, आर.ए.एस.

वादीगण — **बनाम** — **प्रतिवादीगण**

कमला — कानाराम वगैराह

दावा अन्तर्गत धारा 53, 88, 188 आर.टी. एक्ट

राजस्व वाद संख्या :- 28/2011

निर्णय **दिनांक :-** 21/05/25

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल तई रूबरू हमारे व हाजरी श्री मदनलाल चौधरी अधिवक्ता वादीगण मिनजानिब मुददई प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के विरूद्ध एकपक्षीय कार्यवाही, प्रतिवादी संख्या 05 सरकारी पैरोकार उपस्थित मिनजानिब मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादीगण के वाद को स्वीकार कर अन्तिम डिक्री किया जाता है तथा तहसीलदार बिलाड़ा को आदेश दिया जाता है कि वो अन्तिम डिक्री व बंटवाड़ा प्रस्ताव के अनुसार भूमि का राजस्व रेकर्ड जमाबन्दी में वादीगण व प्रतिवादीगण के नाम से खातेदारी दर्ज करे व नक्शा ट्रेस में तरमीम करे एवं प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबन्द किया जाता है कि वो वादीगण के बंट में आई खातेदारी भूमि में किसी प्रकार की दखलन्दाजी न तो स्वयं करे एवं न अन्य किसी से करावे। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करे। अन्तिम डिक्री पर्चा जारी हो। बंटवाड़ा प्रस्ताव व बंटवाडा प्रस्ताव के साथ संलग्न नजरी नक्शा दिनांक 05.05.2025 को अन्तिम डिक्री का भाग समझा व पढा जावे। पत्रावली फैसलसुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
बिलाड़ा

तीज – **मुबलिग** – **बाबत्** –

खर्चा इस मुकद्दमे के मय व शरह – सालाना आज की तारीख में तारीख वसूलयाबी तक – की अदा करें। बवक्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख को जारी की गई।

मुदायराह	रूपया	पैसे	मुदायराह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प अर्जी		
स्टाम्प वजह सबूत			वजह सबूत महनताना वकील		
महनताना वकील			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बाबत् इजराज हुक्मनामा			बाबत् हुराय हुक्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
			दर0 तलबाना		
मीजान			मीजान		

नोट :-इस वर्ष के फार्म पर कुल खर्चा हाजरी हर दो फरीकेन का, चाहे डिकरे के जरिये दिलाया गया हो, या नही, दर्ज करना चाहिये।

(मृदुला शेखावत)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,
बिलाड़ा